

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता  
(जल-व्ययक अनुभाग)  
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०।

संख्या-जी-684/आई०बी०/22ए-108बी/अनु०-94/पूँजीगत/आवटन/डिक्रीटल/2018-19, लखनऊ:दिनांक:दिसम्बर 2-९, 2018

कार्यालय ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-94, लेखाहीन सं० 4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत शासनादेश सं०-76/1402/18-27-सि-3-25 एल०ए०/18, दिनांक-19.12.2018 द्वारा शरट संख्या-एफ०ए०एफ०अ० न०-318/2002 मैसर्स ब्रेसवार् कामर्सियल एण्ड कान्स्ट्रक्शन कम्पनी बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा मारित निर्णय दिनांक-11.10.2017 के अनुपालन में कम्पनी के अवशेष लभित बिलों से सम्बन्धित धनराशि सं० 10,72,499/- की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।

उक्त वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के फलस्वरूप मुख्य संबंधित मुख्य अभियन्ता को निम्न तालिका के अनुसार धनराशि प्राधिकृत किया जाता है -

लेखाशीर्षक	मु०अभि० का नाम	धनराशि रु में
अनुदान सं०-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) 4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 33-सिंचाई विभाग की विभिन्न नहर/बांध परियोजनाओं के अनुबन्ध से अन्तर्ग्रस्त देय डिक्रीटल धनराशियों का भुगतान 051-निर्माण 10-नहरें 1014-सम्बद्ध कार्य 24-वृहत निर्माण कार्य	सरयू-1, फैजाबाद।	10,72,499.00

(रु० दस लाख बहत्तर हजार चार सौ निन्यानवे मात्र)

उपरोक्त धनराशि का आवटन समय-समय पर जारी वित्तीय नियमों/शासनादेशों तथा उक्त शासनादेश दिनांक-19.12.2018 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाता है।

(विनय कुमार राठी)  
प्रमुख अभियन्ता, सि०एवंज०सं०वि०।

संख्या-जी-684/(९)/आई०बी०/तददिनांक-28/12/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. संयुक्त सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (पूर्व) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, गोरखपुर।
4. मुख्य अभियन्ता (अनुश्रवण)/ (अग्रिम नियोजन)/ (सूचना प्रणाली संगठन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (सरयू-1) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, फैजाबाद को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
6. वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
7. अधिशासी अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
8. अधीक्षण अभियन्ता अनुसंधान एवं नियोजन न०-3, सिंचाई भवन एनेक्सी, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-8, श्रावस्ती।
10. प्रशासनिक अधिकारी (बजट) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
11. कट फाईल हेतु।

(अशोक कुमार सिंह)  
मुख्य अभियन्ता (बजट)  
कृते प्रमुख अभियन्ता, सि०वि०।